न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 12/10/2022 दायर दिनांकः— 14/11/2022

जीसीएमएस नं0ः—2022/720 निर्णय दिनांकः— 27/05/2024

वउनवान

1. राजेन्द्र पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बडका
2. अजयसिंह पुत्र हरीसिंह जाति जाट निवासी बडका
3. मुकलेश पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी बडका तहसील कठूमर जिल अलवरं

प्रार्थीया

बनाम

1.सरपंच ग्राम पंचायत मैथना पंचायत समिति कठूमर जिला कठूमर जिला अलवर।

अप्रार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व इन्तकाल संख्या 495 वाके ग्राम बडका आज्ञा दिनांक 17.01.2013 ग्राम पंचायत मैंथना

उपस्थितिः— श्री मानसिंह चौधरी— अधिवक्ता अपीलाण्टस

—ःआदेशः—

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्टस इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 337, 354, 356, 362, 393, 398, 321, 322, 197, वाके ग्राम बडका तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी अपीलाण्टस के पिता हरीसिंह पुत्र चन्दन जाति जाट निवासी बडका तहसील कठूमर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है अपीलाण्ट संख्या 1 हिम्मतसिंह का नाम राजेन्द्र अपीलाण्ट संख्या 2 अजयसिंह का नाम गोपाल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.11 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested

A— 23.5.24

अपीलाण्ट संख्या 3 मुकलेश का नाम मुखला दर्ज कर कर दिया है जो कि गलत दर्ज कर दिया है। अपीलाण्टस के पिता हरीसिंह के स्वर्गवास के बाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बिना सुने बिना अपीलाण्टस के सही नामो की जांच किये ही विरासत इन्तकाल फैसल कर दिया है। उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल सं0 495 वाके ग्राम बडका ग्राम पंचायत मैंथना ने अपीलाण्टस को बिना सुने बिना बुलाये मनमाने तरीके से खिलाफ कानून गलत नामो को स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल की प्रथम बार जानकारी दिनांक 16.10.2022 को उस समय हुई जब अपीलाण्ट पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी की आराजी पर किसान केडिट कार्ड की फाइल बनवाने गये तब पटवारी हल्का ने रेकार्ड देखकर बताया कि अपीलाण्ट संख्या 1 हिम्मतसिंह के स्थान पर राजेन्द्र, अपीलाण्ट संख्या 2 अजयसिंह के स्थान पर गोपाल, अपीलाण्ट संख्या 3 मुकलेश के स्थान पर मुखला के नाम गलत दर्ज हो गये है, और सही करने को कहा तो रेस्पो0 ने मना कर दिया। अतः दिनांक 17.01.2023 से दिनांक 14.11.2023 तक की अवधि को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है, जिसके लिये अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपीलाण्टस ने पेश किया है। अतः अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाण्टस ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया।रेस्पोडेण्ट द्वारा उपस्थित होकर लिखित अनापत्ति पेश कर कोई ऐतराज नही जताया गया एवं उक्त नामो को शुद्व करने कि सहमति प्रदान कि गई। अपीलाण्टस ने अपनी अपील के साथ नकल हाल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 कित[illegible] 3 एवं नकल इन्तकाल संख्या 495 वाके ग्राम बडका व शपथ पत्र अपीलाण्ट भन्ती पत्नी ह[illegible]ति जाट निवासी बडका आशा पुत्री हरीसिंह जाति जाट निवासी बडका के [illegible] अपील के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गये। नकल फोटो प्रति आधार [illegible], वोटर लिस्ट, बैंक पास बुक, परिवार

23.5.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested

राशनकार्ड, पैन कॉर्ड फॉटो प्रति, एवं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मैथना द्वारा लिखित सहमति प्रदान की है जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अपीलाण्टस रेस्पो0 के सहमति एवं छाया प्रति जमाबन्दी व सत्य प्रतिलिपी दोषपूर्ण विरासत इन्तकाल का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील के तथ्यों को ही दोहराया है। बहस पर मनन किया गया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्टस ने उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल की जानकारी पटवारी हल्का के बताने पर होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्टस अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील अपीलाण्ट की बहस सुनी गई। अपीलाण्टस की अपील के मुख्य बिन्दु अपीलाण्ट संख्या 1 राजेन्द्र का नाम हिम्मतसिंह, अपीलाण्ट संख्या 2 गोपाल का नाम अजयसिंह, अपीलाण्ट संख्या 3 मुखला का नाम मुकलेश है। लेकिन वादीगण के पिता हरीसिंह के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बिना सुने बिना अपीलाण्टस के नामो की सही जांच किये बिना विरासत इन्तकाल फैसल कर दिया है। रेस्पो0 ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन करने पर अपीलाण्टस के वारिस काबिज जायदाद है । अपीलाण्टस के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से अपीलाण्टस की अपील साबित है। रेस्पो0 की आज्ञा दिनांक 17.01.2013 इन्तकाल संख्या 495 चाक ग्राम बडका अपीलाण्टस को बिना सुने मृतक के वारिसान के नामों की सही जांच किये बिना स्वीकार करने की वजह से निरस्त किये जाकर इन्तकाल से प्रभावित हाल राजस्व रेकार्ड में अपीलाण्ट संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested

राजेन्द्र के स्थान पर हिम्मतसिंह, अपीलाण्ट संख्या 2 गोपाल के स्थान पर अजयसिंह, अपीलाण्ट संख्या 3 मुखला के स्थान पर मुकलेश के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्टस स्वीकार की जाकर इन्तकाल सं0 495 वाके ग्राम बडका ग्राम पंचायत मैंथना तहसील कठूमर से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 337, 354, 356, 362, 393, 398, 321, 322, 197 वाके ग्राम बडका तहसील कठूमर में अपीलाण्ट संख्या 1 राजेन्द्र के स्थान पर हिम्मतसिंह, अपीलाण्ट संख्या 2 गोपाल के स्थान पर अजयसिंह, अपीलाण्ट संख्या 3 मुखला के स्थान पर मुकलेश नाम शुद्ध कर दर्ज किये जाने आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी हो। अपील अपीलाण्ट फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.5.24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

[illegible]/7/24

[illegible] P.O
[illegible]
व्यवस्थी दिनांक 5/4/24
को पेश हो।

5/4/24 वकील अपीलार्थी उपस्थित।
साबिक आदेश दिनांक..............................
की पालना में पत्र. श्री वास्ते बहस/रिकार्ड [illegible]
दिनांक 30/4/24 .... को पेश हो। [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

30/4/24 वकील अपीलार्थी उपस्थित।
साबिक आदेश दिनांक..............................
की पालना में पत्र. श्री वास्ते बहस/रिकार्ड अंतिम
दिनांक 27/5/24 .... को पेश हो। मौका [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

27/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। [illegible] ने जवाब [illegible] किया [illegible] मिसल किया गया [illegible] [illegible] सुनी गई। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार को तहरीर जारी हो [illegible] [illegible] से [illegible] जावे, बाद कि किया गया पत्रावली फैसल हुआ होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील [illegible] [illegible] किया [illegible] [illegible]

उपखण्ड [illegible] 27/5/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.11 18:08:23 IST
Reason: SelfAttested